(a) whether Government consider it as a national duty to collect and preserve the documentary materials connected with the revolutionary activities of Netaji Subhas Chandra Bose outside India;

(b) if so, whether Government would take necessary steps with the help of the Ministry of External Affairs, to find out and collect (i) war-time speeches and writings of Netaji and news and other documents connected with the Azad Hind Legion in Germany and INA in S.E. Asia and (ii) documentary films on Netaji and INA that are likely to be found in the official archives of Japan, W. Germany, E. Germany, U.K., USA, Burma, Malaya, Singapore, Philippines and others;

(c) whether already available writings and speeches of Netaji will be reprinted in all national languages in India for mass circulation;

(d) whether Government will, undertake publications on life and activities of Netaji; and

(e) if so, the policy of the Janata Government thereabout?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) and (b). Yes, Sir. The Government have already acquired some material in the form of speeches, writings, films and recordings/transcripts of Netaji's speeches from South East Asian and European countries.

(c) to (e). Some publications containing a biographical sketch of Netaji, his speeches, etc., have already been brought out. Reprint of these publications will be considered in light of present stock position and demand.

भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान फिल्मों सम्बन्धी गोष्ठी

5961. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान हुई फिल्मों संबंधी गोष्ठी द्वारा क्या सिफारिशें की गई और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या गोष्ठी में इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय फिल्म नीति बनाने के साथ-साथ मनोरंजन कर को भी केन्द्रीय विषय बनाया जाये?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा आयोजित फिल्म गोष्ठी में की गई सिफारिशें संलग्न परिशिष्ट में दी गई हैं। सरकार ने इन सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) गोष्ठी में यह सिफारिश की गई थी कि इस विचार को कि सिनेमा के स्वस्थ विकास के लिए इसको केन्द्रीय विषय बनाया जाए, पूरा करने के लिए एक प्रगतिशील राष्ट्रीय फिल्म नीति विकसित की जाए। गोष्ठी में मनोरंजन कर और सम्बन्धित शुल्कों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की भी सिफारिश की गई थी।

विवरण

छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान 5 जनवरी से 7 जनवरी, 1977 तक हुई फिल्म गोष्ठी में की गई सिफारिशें।

(1) सरकार को फिल्म उद्योग में अर्थपूर्ण, लोकतांत्रिक, विवेचनात्मक, सुरुचिपूर्ण और वैज्ञानिक परम्परा को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित और विकसित करना चाहिए। यह, अभिमानी और बुद्धिहीन निर्देशन, जो आजकल भारतीय सिनेमा में है, को हतोत्साहित करने के लिए कदम उठा कर ही किया जा सकता है।

(2) इस व्यापक विचार कि सिनेमा के स्वस्थ विकास के लिए इसको केन्द्रीय विषय बनाया जाना चाहिए, का स्वागत करते हुए, गोष्ठी में एक प्रगतिशील राष्ट्रीय फिल्म नीति विकसित करने पर जोर दिया गया।

(3) गोष्ठी में यह सिफारिश की गई कि फिल्म निर्माताओं को 16 मि मी० में निर्माण करने के लिए सभी आवश्यक उपकरणों का आयात करने के अधिकार दिए जाएं। सरकार को देश में 16 मि० मी० फिल्म क्रान्ति लाने के लिए आवश्यक इन्फरा-स्ट्रक्चर बनाने के लिए अन्य कदम भी उठाने चाहिएं।

(4) दूरदर्शन को अपना अस्तित्व विकसित करना चाहिए ताकि वह सामाजिक क्रान्ति लाने में अपनी सही भूमिका अदा कर सके। इसको औसतन सिनेमा के वाणिज्यिक और अन्य अवांछनीय प्रभावों में नहीं आने दिया जाए।

(5) नये, युवक और उद्यमी फिल्म निर्माताओं को व्यवसाय के सदस्य समझा जाए, जो, चिकित्सा के पेशे की तरह बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होने चाहिएं। सिनेमा को केन्द्रीय विषय बना दिए जाने पर सांस्थानिक निधि के लिए उनकी पहुंच आसान हो जाएगी।

(6) स्वतन्त्र फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए यह जरूरी है कि मनोरंजन करों और संबंधित शुल्कों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाए।

(7) इस बात को मानते हुए कि सिनेमा देश के सांस्कृतिक लोकाचार में अत्यधिक प्रभावशाली तत्त्व है, इसको समग्र राष्ट्रीय नीति में स्थान मिलना चाहिए।

(8) फिल्म शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंग होना चाहिए।

(9) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए वातावरण बनाने के लिए, कार्रवाई समितियां बनाई जानी चाहिएं।

गंगा पर उजियारघाट बक्सर पुल

5962. **श्री रामधारी शास्त्री** :क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले उजियारघाट-बक्सर पुल का निर्माण इस बीच पूरा हो गया है; और

(ख) क्या उक्त पुल को पूरा करने में जानबूझकर विलम्ब किया जा रहा है जबकि इसे वर्ष 1976 में पूरा किया जाना तथा यातायात के लिये खोल दिया जाना चाहिए था ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में निवेश

5963. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **इलेक्ट्रॉनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया में अब तक कुल कितनी धनराशि लगाई गई है और इसमें कितना उत्पादन होता है ?